



2026:AHC:31491

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2913/2026

हरिओम उर्फ हरिओम सिंह यादव

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : बीरेन्द्र कुमार, धर्मेन्द्र कुमार दोहरे

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया

1. याची के अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.के. त्रिपाठी को सुना गया।
2. आज प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. याची द्वारा वर्तमान रिट याचिका में एकमात्र प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप-जिलाधिकारी, तहसील- जखनिया, जनपद गाजीपुर को वाद संख्या 2757 / 2023 (देवराजी बनाम मुनेसर एवं अन्य) में दायर पुनर्स्थापन आवेदन दिनांक 18.09.2023 को निर्धारित समय के भीतर निस्तारित करने हेतु निर्देशित करने की है।
4. दूसरी ओर, प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 उपरोक्त आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेंगे।
5. उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप-जिलाधिकारी, तहसील- जखनिया, जनपद गाजीपुर को यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है कि वे याची द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त पुनर्विचार आवेदन पर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विधि के अनुसार बिना किसी अनावश्यक स्थगन के इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की तिथि से शीघ्रता से और अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय लें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

12 फरवरी, 2026

स्वाति

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"